भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 997
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध

† 997. श्री ई. तुकारामः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धूम्रपान न करने वाले असुरक्षित समूहों पर, विशेष रूप से श्वसन संबंधी बीमारियों, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मामले में किसी व्यक्ति द्वारा धूम्रपान से अन्य व्यक्ति पर पड़ने वाले धूम्रपान के तात्कालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव क्या हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा सड़कों, पार्कों, बस स्टॉपों और रेलगाड़ियों आदि सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर वर्तमान में क्या जुर्माना लगाया जाता है;

(घ) क्या इस प्रकार के दंड देश में धूम्रपान को रोकने में कारगर सिद्ध हुए हैं;

(ङ) देश में अनिवारक धूम्रपान के कारण प्रतिवर्ष कितनी मौतें/मामले रिपोर्ट किए जाते हैं; और

(च) क्या सरकार की देश में उक्त स्वास्थ्य संबंधी समस्या के भार को कम करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी भारत में तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट (2022) के अनुसार, सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस) के संपर्क में आने से बच्चों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जबकि गर्भवती महिलाओं में इसके कारण शिशुओं में कम वजन, मृत जन्म और विकास संबंधी समस्याएं जैसी जटिलताएं होती हैं। एसएचएस के दीर्घकालिक संपर्क से धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े के कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है।

(ख) और (ग): भारत सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध, व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 की धारा 4 के

अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है। धारा 4 का पालन न करने की स्थिति में, इस अधिनियम की धारा 21 के तहत 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, सीओटीपीए, 2003 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन के लिए एडवाईजरी जारी की जाती है। इसके अलावा, तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए *कानून प्रवर्तकों के लिए दिशानिर्देश* जारी किए गए हैं।

(घ) से (च): वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जीएटीएस), 2016-2017 के अनुसार, कुल तंबाकू उपयोग 28.6% था, जो 2009-2010 में दर्ज 34.6% की तुलना में 17.3% की कमी है। इसके अलावा, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2019 में भारत में धूम्रपान और सेकेंड हैंड स्मोक (एसएचएस) के कारण 1.2 मिलियन (12 लाख) से अधिक मौतें हुईं।

*****